



# रायपुर विकास प्राधिकरण


भक्त माताकर्मा व्यावसायिक परिसर, न्यू राजेन्द्रनगर रायपुर (छत्तीसगढ़) 492006

## आवासीय भूखंडों के नियम एवं शर्तें

नगर विकास योजना क्रं. 04 कमल विहार के अंतर्गत आवासीय प्रयोजन के भूखंड पर प्राप्त करने हेतु निविदा पत्र

क्रमांक .....

दिनांक .....



पासपोर्ट साईज  
फोटो

आवेदक/निविदादाता

का नाम .....

निविदा प्रपत्र का मूल्य 500/- (पांच सौ रुपये) की राशि रसीद

क्रं..... बुक क्रं. ....

दिनांक .....द्वारा जमा की गई

मुहर

(अधिकारी के हस्ताक्षर)

### निविदादाता/आवेदक द्वारा भरा जाना है

1. आवेदक/निविदादाता का नाम .....
2. पिता/पति का नाम .....
3. (अ) आयु .....
3. (ब) व्यवसाय .....
4. आवेदक का पत्र व्यवहार का पूर्ण स्थाई पता :-
  - अ. निवास का पूर्ण पता .....
  - ब. व्यवसायिक पता .....
  - स. दूरभाष/मोबाईल नं. ....
  - द. मेल आईडी .....

5. अर्नेस्ट मनी एवं फार्म शुल्क जमा करने का विवरण :-

अ. जमा की गई राशि 

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

  
राशि शब्दों में .....

ब. बैंक ड्राफ्ट/पे.आर्डर/बैंकर्स चेक का विवरण :-

क्रं0	विवरण	आवेदक द्वारा भरा गया विवरण
1.	जारी करने वाले बैंक का नाम	
2.	शाखा	
3.	शहर	
4.	दिनांक एवं क्रमांक	

स. **NEFT /RTGS** का विवरण जो कि आवेदक द्वारा जमा की जाये :-

क्रं0	विवरण	आवेदक द्वारा भरा गया विवरण
1.	भेजने वाले बैंक का नाम	
2.	शाखा	
3.	शहर	
4.	यू.टी.आर नम्बर	
5.	आवेदक का पेन नं0	

द. आवेदक द्वारा **NEFT /RTGS** से धरोहर राशि एवं फार्म शुल्क जमा करने हेतु विवरण

क्रं0	विवरण	
1.	रायपुर विकास प्राधिकरण A/c No.	<b>3314744477</b>
2.	खाते का नाम	<b>कमल विहार कलेक्शन एकाउंट</b>
3.	बैंक का नाम	सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया, सदर बाजार रायपुर (छत्तीसगढ़)
4.	IFSC	<b>CBIN0281468</b>
5.	MICR CODE	<b>492016005</b>
7.	SWIFT CODE	<b>CBININBBBHI</b>

6. असफल निविदाताओं के लिये राशि रिफंड प्राप्त करने हेतु :-

क्र०	विवरण	आवेदक द्वारा भरा गया विवरण
1.	आवेदनकर्ता के बैंक का नाम	
2.	शाखा	
3.	आवेदनकर्ता के बैंक का खाता क्रमांक ( अंको का खाता क्र०)	
4.	आवेदनकर्ता के बैंक का IFSC कोड	

7- आवेदक / निविदादाता द्वारा चाहे गए भूखंड के लिए निम्नानुसार प्रवृष्टियां की जावें -

सरल क्रमांक	भूखंड का प्रयोजन	सेक्टर क्रमांक	भूखंड क्रमांक	क्षेत्रफल वर्गफीट में	आवेदक / निविदादाता द्वारा प्रस्तावित मूल्य (प्रति वर्गफुट)	आवेदक के हस्ताक्षर
					अंको में .....	
					शब्दों में .....	
					.....	
					.....	

घोषणा

मैं रायपुर विकास प्राधिकरण की कमल विहार योजना के अंतर्गत उपर बताए गए भूखंड को अपनी निविदा में अंकित मूल्य पर क्रय करना चाहता हूं ।

निविदादाता का नाम - .....

हस्ताक्षर - .....



# रायपुर विकास प्राधिकरण

भक्त माताकर्मा व्यावसायिक परिसर, न्यू राजेन्द्रनगर रायपुर (छत्तीसगढ़) 492006

## आवासीय भूखंडों के निविदा से विक्रय की भूखंडों के नियम एवं शर्तें

1. भारतीय नागरिक, भारतीय कम्पनी, पार्टनरशिप फर्म, ट्रस्ट, एन.आर.आई, अन्य कोई संस्था/समिति या व्यक्ति जो निर्धारित उपयोग हेतु प्लॉट/भूखण्ड खरीदने हेतु इच्छुक है, पंजीयन हेतु आवेदन-पत्र रायपुर विकास प्राधिकरण कार्यालय, (न्यू राजेन्द्र नगर स्थित भक्त माता कर्मा परिसर के द्वितीय तल पर ) रायपुर से रु.500/- का नगद भुगतान करके निविदा तिथि के 2 दिन पूर्व तक कार्यालयीन दिवस में 11.00 बजे से 1.30 बजे तक एवं 2.00 बजे से 3.30 बजे तक प्राप्त किये जा सकते हैं। प्रत्येक निविदा के पश्चात शेष बचे भूखंडों के लिए आवेदन फार्म का विक्रय एवं निविदा जमा करने की कार्यवाही निरंतर जारी रहेगी। प्रत्येक शुक्रवार को दोपहर 2.00 बजे निविदा खोले जाने के पश्चात् शेष रिक्त भूखंडों की सूची प्राधिकरण के सूचना पटल एवं वेब साईट [www.rdaraipur.com](http://www.rdaraipur.com) पर अपडेट कर दी जावेगी। प्रथम निविदायें दिनांक 13.09.2019 को दोपहर 2.00 बजे कार्यालय के सभा कक्ष में खोली जावेगी।
2. निविदाएं डाक द्वारा भी जमा करायी जा सकती है किन्तु निविदाएं निविदा खुलने वाले दिवस को दोपहर 12.00 बजे तक कार्यालय में प्राप्त हो जानी चाहिये। विलम्ब से प्राप्त होने वाली निविदाएं आगामी दिवस की निविदा हेतु शेष बचे भूखंडों के लिए ही जमा कराई जा सकेगी।
3. आवेदन-पत्र को रायपुर विकास प्राधिकरण की वेबसाईट [www.rdaraipur.com](http://www.rdaraipur.com) से भी डाउनलोड किया जा सकता है। ऐसे डाउनलोड किए गए सभी आवेदन पत्रों के साथ 500/- रु. मूल्य का डिमांड ड्राफ्ट/NEFT/RTGS, जो **मुख्य कार्यपालन अधिकारी, रायपुर विकास प्राधिकरण A/C सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया, रायपुर** के नाम से देय हो, संलग्न करना आवश्यक होगा, साथ ही संबंधित दस्तावेजों एवं पंजीयन राशि का विवरण भी संलग्न करना होगा।
4. निविदा एक ही लिफाफे में जमा करनी होगी। निर्धारित धरोहर राशि का डिमांड ड्राफ्ट एवं निविदा प्रपत्र एक ही लिफाफे में डालकर प्रस्तुत करना होगा। लिफाफे के ऊपर दिये गये प्रारूप अनुसार प्रविष्टी की जावे। (यदि आवेदन पत्र डाऊन-लोड किया गया हो तो आवेदन शुल्क 500.00 रुपये का बैंक ड्राफ्ट/NEFT/RTGS का विवरण भी धरोहर राशि वाले लिफाफे में संलग्न करना होगा)

## निविदा के लिफाफे के ऊपर निम्नानुसार विवरण दिया जावेँ

“कमल विहार योजना के अंतर्गत निविदा पत्र	
निविदा दाता का नाम :- .....	प्रति,
भूखण्ड का प्रयोजन :- .....	मुख्य कार्यपालन अधिकारी
भूखण्ड क्रमांक एवं सेक्टर :- .....	रायपुर विकास प्राधिकरण
क्षेत्रफल :- .....	रायपुर (छ0ग0)
पता :- .....	
मो0 नं0 :- .....	

5. प्रत्येक भूखंड के लिए अलग-अलग निविदा आवेदन पत्र अलग-अलग धरोहर राशि के साथ जमा करना होगा । दो से अधिक भूखंड एक ही व्यक्ति/परिवार/संस्था को विक्रय नहीं किये जायेंगे। ऐसे व्यक्तियों को आवेदन करने की पात्रता नहीं होगी जिन्हे पूर्व में आबंटित भूखंडों की राशि वापस प्राप्त कर ली गई है अथवा उनके भूखंड प्राधिकरण द्वारा निरस्त किये गये है।
6. निविदा के लिए निर्धारित की गई धरोहर राशि **मुख्य कार्यपालन अधिकारी, रायपुर विकास प्राधिकरण A/C सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया, रायपुर** के नाम पर देय बैंक ड्रॉफ्ट/पे-आर्डर/बैंकर्स चेक/**NEFT/RTGS** द्वारा ही स्वीकार की जावेगी जो निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न की जावेगी । बिना धरोहर राशि के निविदा स्वयंमेव निरस्त मानी जाएगी ।
7. मुहरबंद निविदाएं मुख्य कार्यपालन अधिकारी, रायपुर विकास प्राधिकरण, भक्तमाता कर्मा व्यावसायिक परिसर, द्वितीय तल, न्यू राजेन्द्रनगर, रायपुर छ.ग. में जमा की जा सकेगी ।
8. कोई भी निविदा आवेदन पत्र जिसमें निर्धारित आरक्षित मूल्य (आफसेट मूल्य) से कम राशि का प्रस्ताव होगा, स्वीकार्य नहीं होगा ।
9. यदि किसी एक या उससे अधिक भूखंड के लिए प्राप्त निविदा प्रस्तावों की दरें एक समान या बराबर होगी तो ऐसी निविदा की स्वीकृति लॉटरी द्वारा की जावेगी ।
10. किसी भी निविदा को बिना कारण बताये स्वीकृत या अस्वीकृत करने का अधिकार अध्यक्ष, रायपुर विकास प्राधिकरण या उनके द्वारा अधिकृत अधिकारी को रहेगा, चाहे ऐसी निविदा उच्चतम मूल्य की ही क्यों न हों ।
11. आबंटित भूखंड का किसी प्रकार से विभाजन कर अन्य को विक्रय करने की अनुमति नहीं होगी, परन्तु सक्षम अधिकारी से विधिवत निर्माण की अनुमति प्राप्त कर निर्मित संरचना को **छ.ग. प्रकोष्ठ स्वामित्व अधिनियम, 1976** के तहत विक्रय किया जा सकेगा ।
12. भूखंड के आबंटन स्वीकृति की सूचना निविदाकर्ता को उनके लिखित पते पर पंजीकृत डाक से भेजी जाएगी । यदि डाक से पत्र वापस आ जाता है तो प्राधिकरण की जिम्मेदारी नहीं होगी तथा निर्धारित अवधि के पश्चात् प्राधिकरण को आबंटन निरस्त करने एवं धरोहर राशि जब्त करने का अधिकार होगा ।

13. भूखंडो का आबंटन आदेश प्राप्त होने पर राशि निम्नानुसार अवधि में जमा करनी होगी।
- 1.) कुल राशि की 25 प्रतिशत राशि (प्रथम किश्त) आबंटन स्वीकृति सूचना तिथि से 03 माह में जमा करना होगा।
  - 2.) कुल राशि की 25 प्रतिशत राशि (द्वितीय किश्त) आबंटन स्वीकृति सूचना तिथि से 06 माह में जमा करना होगा।
  - 3.) कुल राशि की 25 प्रतिशत राशि (तृतीय किश्त) आबंटन स्वीकृति सूचना तिथि से 09 माह में जमा करना होगा।
  - 4.) शेष राशि (धरोहर राशि के समायोजन पश्चात्) आबंटन स्वीकृति सूचना तिथि से 12 माह में जमा करना होगा।
14. आबंटिती द्वारा कंडिका 13 में दर्शायी गई समयावधि के पूर्व किसी भी किश्त का भुगतान निर्धारित तिथि के पूर्व किया जावेगा तो जितने दिन पूर्व राशि जमा कराई गई है उसके अनुसार **Pro-rata basis** पर प्रति दिन के लिये 8.75 प्रतिशत वार्षिक की दर से गणना छुट 30.03.2020 प्राप्त की जा सकती है।
15. कंडिका क्रमांक (13) में उल्लेखित मांग पत्र के अनुसार निर्धारित समय पर राशि जमा नहीं करने पर आबंटन निरस्त कर धरोहर राशि प्राधिकरण के पक्ष में राजसात कर ली जावेगी एवं शेष राशि बिना ब्याज के वापस कर दी जावेगी।
16. निविदाएं प्रस्तुत हो जाने के पश्चात् प्रस्तुत निविदा वापसी/परिवर्तन से संबंधित कोई भी आवेदन स्वीकार योग्य नहीं होगा तथा उनकी निविदाएं प्रक्रिया में शामिल मानी जाएगी तथा उनके द्वारा प्रस्तुत निविदा यदि सफल होती है तो आबंटन स्वीकार न करने पर धरोहर राशि राजसात कर ली जावेगी।
17. निविदादाता को निर्धारित अवधि में राशि जमा करने के पश्चात् एक माह के भीतर उचित मूल्य के स्टॉप पर स्वयं के व्यय पर विक्रय विलेख का निष्पादन कराना होगा।
18. निविदादाता आबंटित भूखंड का उपयोग केवल निर्धारित प्रयोजन के लिये ही करेगा।
19. आबंटिती को भारत सरकार, छत्तीसगढ़ शासन, स्थानीय संस्थाओं एवं अन्य शासकीय विभागों द्वारा समय-समय पर अधिरोपित करों का भुगतान स्वयं करना होगा।
20. आबंटिती द्वारा भूखंड अन्य किसी को हस्तांतरित करने के पूर्व प्राधिकरण से अनुमति प्राप्त करना होगा इस हेतु निर्धारित आवेदन पत्र में फोटोयुक्त आवेदन प्रस्तुत करना होगा। प्राधिकरण द्वारा अनुमति निःशुल्क एवं तत्काल प्रदान की जावेगी। उपरोक्त अनुमति में कोई नई शर्त नहीं जोड़ी जावेगी तथा अनुमति दिये जाने का आशय केवल अभिलेख संधारण से संबंधित होगा। नवीन क्रेता को प्राधिकरण में पंजीकृत विक्रयनामा की प्रमाणित छायाप्रति प्रस्तुत कर नाम दर्ज करने हेतु आवेदन प्रस्तुत कर अपना नाम प्राधिकरण अभिलेखों में दर्ज कराना होगा। आबंटिती को सक्षम प्राधिकारी से मानचित्र स्वीकृत कराकर भवन का निर्माण करना होगा।

21. आबंटिती को छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973, भूमि विकास नियम व उसके अधीन शासन द्वारा समय-समय पर बनाये गए नियम, उपनियम, आदेश-निर्देश, संकल्प आदि का पालन करना अनिवार्य होगा ।
22. निविदा के नियम एवं शर्तों से उद्धृत किन्हीं विवादों के संबंधमें अथवा उभय पक्ष के मध्य उत्पन्न किसी विवाद के संबंध में अध्यक्ष, रायपुर विकास प्राधिकरण के समक्ष पंच निर्णय (आर्बिट्रेशन) हेतु सौंपा जायेगा । ऐसे विवाद का निपटारा अध्यक्ष अथवा उनके द्वारा इस हेतु प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा किया जा सकेगा, जिसका निर्णय सभी पक्षों को मान्य होगा । निविदादाता को पंच नियुक्त किये जाने के संबंध में आपत्ति करने का अधिकार नहीं होगा, भले ही ऐसा पंच (आर्बिट्रेशन) रायपुर विकास प्राधिकरण का कोई अधिकारी ही क्यों न हो ।
23. अन्य जानकारी रायपुर विकास प्राधिकरण कार्यालय से कार्यालयीन अवधि में प्राप्त की जा सकती है ।
24. विशेष शुल्क अतिरिक्त रूप से देय होंगे जैसे कार्नर भूखण्ड 10%, 18 मीटर सड़क से लगा हुआ 2%, गार्डन फेसिंग 5%, कार्नर + गार्डन फेसिंग 13% परन्तु किसी भी दशा में 15% से अधिक नहीं होगा । उपरोक्त शुल्क की गणना आबंटित भूखण्ड के मूल प्रब्याजि पर की जावेगी ।
25. फ्री – होल्ड में भूखण्ड लिये जाने की स्थिति में निम्नानुसार अतिरिक्त राशि देय होगी :
- (अ) भूखण्ड मूल्य का 1 प्रतिशत सम्परिवर्तन शुल्क एवं
- (ब) भूखण्ड मूल्य का 2 प्रतिशत भू-भाटक 10 वर्षों हेतु ।
- पुनः स्पष्ट किया जाता है कि फ्री – होल्ड में भूखण्ड लेना स्वैच्छिक है । यदि भूखण्ड का क्रय लीज होल्ड में किया जाता है तब 30 वर्षों तक भूखण्ड की मूल प्रब्याजी राशि पर 2% वार्षिक की दर से भू-भाटक आबंटिती को नियमित भुगतान करना होगा । 30 वर्षों की अवधि पूरी होने पर लीज को पुनः नवीनीकरण किया जायेगा [शर्तें लागू] । लीज नवीनीकरण उपरांत भी संशोधित दर से भू-भाटक प्रत्येक वर्ष जून माह में देना होगा ।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी  
रायपुर विकास प्राधिकरण  
रायपुर (छ.ग.)

कमल विहार में 13-Sep-2019 (Friday) को आबंटन के लिए  
Residential उपयोग हेतु उपलब्ध भूखंडों का विवरण

क्रं.	सेक्टर				भूखण्डों की अनुमानित क्षेत्रफल वर्गफुट	भूखण्ड मूल्य (लीज होल्ड) 1472 (<2000) – 1402 रु (>2000) प्रति वर्गफुट	पंजीयन शुल्क (10 प्रतिशत)
		भूखण्ड क्रमांक	दिशा	स्थिति			
1	1	B-175	S		565.10	Rs. 8,31,834	Rs. 83,183
2	1	C-108	E		565.10	Rs. 8,31,834	Rs. 83,183
3	11A	B-57	N	G	601.81	Rs. 8,85,864	Rs. 88,586
4	1	G-43	E		645.83	Rs. 9,50,668	Rs. 95,067
5	1	G-44	E		645.83	Rs. 9,50,668	Rs. 95,067
6	1	G-45	E		645.83	Rs. 9,50,668	Rs. 95,067
7	1	G-46	E		645.83	Rs. 9,50,668	Rs. 95,067
8	1	G-47	E		645.83	Rs. 9,50,668	Rs. 95,067
9	1	G-48	E		645.83	Rs. 9,50,668	Rs. 95,067
10	1	G-49	E		645.83	Rs. 9,50,668	Rs. 95,067
11	1	G-50	E		645.83	Rs. 9,50,668	Rs. 95,067
12	1	G-51	E		645.83	Rs. 9,50,668	Rs. 95,067
13	1	G-52	E		645.83	Rs. 9,50,668	Rs. 95,067
14	1	G-53	E		645.83	Rs. 9,50,668	Rs. 95,067
15	1	G-54	E	CG	645.83	Rs. 9,50,668	Rs. 95,067
16	8b	C-1	S	G	645.83	Rs. 9,50,668	Rs. 95,067
17	8b	C-37	W		645.83	Rs. 9,50,668	Rs. 95,067
18	8b	C-39	W	G	645.83	Rs. 9,50,668	Rs. 95,067
19	8b	C-41	W	CG	645.83	Rs. 9,50,668	Rs. 95,067
20	1	G-55	N	CG	672.74	Rs. 9,90,279	Rs. 99,028
21	1	G-56	N	G	672.74	Rs. 9,90,279	Rs. 99,028
22	1	G-57	N	G	672.74	Rs. 9,90,279	Rs. 99,028
23	1	G-58	N	G	672.74	Rs. 9,90,279	Rs. 99,028
24	1	G-59	N	G	672.74	Rs. 9,90,279	Rs. 99,028
25	1	G-62	S		672.74	Rs. 9,90,279	Rs. 99,028
26	1	G-63	S		672.74	Rs. 9,90,279	Rs. 99,028



27	1	G-64	S		672.74	Rs. 9,90,279	Rs. 99,028
28	1	G-65	S		672.74	Rs. 9,90,279	Rs. 99,028
29	1	G-66	S	C	672.74	Rs. 9,90,279	Rs. 99,028
30	8a	A-68a	SW	C	677.26	Rs. 9,96,933	Rs. 99,693
31	1	G-67	NW	C	702.88	Rs. 10,34,643	Rs. 1,03,464
32	1	G-68	W		702.88	Rs. 10,34,643	Rs. 1,03,464
33	1	G-69	W		702.88	Rs. 10,34,643	Rs. 1,03,464
34	1	G-70	W		702.88	Rs. 10,34,643	Rs. 1,03,464
35	1	G-71	W		702.88	Rs. 10,34,643	Rs. 1,03,464
36	1	G-72	W	C	702.88	Rs. 10,34,643	Rs. 1,03,464
37	1	G-73	SE	C <sup>27</sup>	702.88	Rs. 10,34,643	Rs. 1,03,464
38	1	G-75	E		702.88	Rs. 10,34,643	Rs. 1,03,464
39	1	G-80	W		702.88	Rs. 10,34,643	Rs. 1,03,464
40	1	G-81	W		702.88	Rs. 10,34,643	Rs. 1,03,464
41	1	G-82	W		702.88	Rs. 10,34,643	Rs. 1,03,464
42	1	C-98h	E		731.95	Rs. 10,77,423	Rs. 1,07,742
43	1	G-61	S		742.71	Rs. 10,93,268	Rs. 1,09,327
44	1	G-42	E	C	759.93	Rs. 11,18,619	Rs. 1,11,862
45	8b	C-38	W		772.85	Rs. 11,37,632	Rs. 1,13,763
46	8b	C-2	S	G	773.66	Rs. 11,38,821	Rs. 1,13,882
47	8b	C-2a	S	G	773.66	Rs. 11,38,821	Rs. 1,13,882
48	10	A-139	SE		928.92	Rs. 13,67,377	Rs. 1,36,738
49	6	B-179	sw	G	944.10	Rs. 13,89,718	Rs. 1,38,972
50	1	G-60	N	G	1005.03	Rs. 14,79,397	Rs. 1,47,940
51	11A	B-89	N		1271.22	Rs. 18,71,231	Rs. 1,87,123
52	14A	A-50a	W		1417.61	Rs. 20,86,715	Rs. 2,08,672
53	11A	B-105	SW	GR	1973.88	Rs. 29,05,557	Rs. 2,90,556
54	11A	D-46	N		2131.25	Rs. 29,88,016	Rs. 2,98,802
55	10	C-56	W		2141.69	Rs. 30,02,654	Rs. 3,00,265
56	1	E-61	E	G	2247.50	Rs. 31,50,998	Rs. 3,15,100
57	12	D-62	E	R	2561.81	Rs. 35,91,655	Rs. 3,59,166
58	11A	D-19	N	CG	2583.34	Rs. 36,21,837	Rs. 3,62,184
59	11A	D-20	S	CG	2583.34	Rs. 36,21,837	Rs. 3,62,184
60	11A	D-1	S	CG	2607.77	Rs. 36,56,094	Rs. 3,65,609
61	11A	D-27	S	CGR	2786.77	Rs. 39,07,057	Rs. 3,90,706
62	10	C-42	SE	C	3051.14	Rs. 42,77,691	Rs. 4,27,769
63	11A	A-142	WS	C	3115.18	Rs. 43,67,483	Rs. 4,36,748

64	10	B-77	SW	CG	3230.20	Rs. 45,28,745	Rs. 4,52,875
65	11A	C-26b	S		3358.34	Rs. 47,08,388	Rs. 4,70,839
66	13	A-86	W	CR	4566.05	Rs. 64,01,597	Rs. 6,40,160
67	13	C-29a	N	CGR	4586.28	Rs. 64,29,968	Rs. 6,42,997
68	12	D-94	E	GR	4604.80	Rs. 64,55,925	Rs. 6,45,592
69	12	C-47	W		4668.95	Rs. 65,45,867	Rs. 6,54,587
70	1	C-58	S	GR	4685.53	Rs. 65,69,107	Rs. 6,56,911
71	8a	D-16	SE	CR	4695.21	Rs. 65,82,689	Rs. 6,58,269
72	13	C-34	NW	G	4881.43	Rs. 68,43,763	Rs. 6,84,376
73	11A	C-196	E	G	5205.42	Rs. 72,98,002	Rs. 7,29,800
74	12	C-48	W		5811.43	Rs. 81,47,624	Rs. 8,14,762
75	12	C-60	E	R	5811.86	Rs. 81,48,228	Rs. 8,14,823
76	12	A-129	E		5812.5	Rs. 85,56,009	Rs. 8,55,600
77	12	D-75	SW		6421.74	Rs. 90,03,283	Rs. 9,00,328
78	11A	C-195	SE	G	6447.15	Rs. 90,38,898	Rs. 9,03,890
79	10	C-29	NW		6863.06	Rs. 96,22,014	Rs. 9,62,201
80	13	C-33	NW	G	7027.32	Rs. 98,52,302	Rs. 9,85,230
81	12	C-61	E	R	7106.76	Rs. 99,63,674	Rs. 9,96,367
82	6	B-46	NE		7307.61	Rs. 1,02,45,272	Rs. 10,24,527
83	14A	A-13	E		7646.67	Rs. 1,07,20,638	Rs. 10,72,064
84	12	A-130	E		8165.71	Rs. 1,14,48,325	Rs. 11,44,833
85	6	B-28	SW		8250.53	Rs. 1,15,67,242	Rs. 11,56,724
86	11A	C-201	W	R	8833.50	Rs. 1,23,84,570	Rs. 12,38,457

**टीप 1 :-** छ.ग. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम एवं छ.ग. भूमि विकास नियम के प्रावधानों के अनुसार भूखण्डों का उपयोग सुनिश्चित होगा।

**2 :-** भूखण्ड का क्षेत्रफल अनुमानित है। वास्तविक क्षेत्रफल की जानकारी विक्रय-विलेख के पूर्व दी जावेगी तथा निविदादाता को वास्तविक क्षेत्रफल के अनुरूप राशि अंतिम किस्त में जमा करना होगा।